राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1984/2025

रामकल्याण गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर राजस्थान।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीएचसी, डिग्गी, मालपुरा, टोंक।
4. पंकज कुमार पांण्डेय नर्सिंग ऑफिसर, उप जिला अस्पताल, फागी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.02.2025
आदेश की दिनांक : 06.03.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रितेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/24 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सीएचसी डिग्गी, मालपुरा, टोंक से उपजिला अस्पताल फागी में किया गया है और उसी दिन अन्य आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/30 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सीएचसी डिग्गी, मालपुरा, टोंक से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए अपीलार्थी के स्थानांतरण

आदेश क्रमांक 24 एवं 30 पारित किये गये है, जिसमें अपीलार्थी को दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। अतः आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) दोनों आदेशों में अपीलार्थी का भिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया है। इन दोनों आदेशों के नोट संख्या–5 में यह अंकित किया गया है कि किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का एक ही दिन में दो अलग–अलग स्थानांतरण आदेशों के द्वारा दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में आदेशों के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था। निदेशालय से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
(सदस्य)